



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



[23]

वास्तविक अधिकारी एवं विक्रय अधिकारी बना दिया और अब प्रथम पक्ष
विक्रेत्रीगण का कोई स्वत्व एवं अधिकार विक्रीत भूमि भूमिधरी से शेष
नहीं रहा और ना होगा। उपरोक्त भूमि भूमिधरी का कतई खाली का
कब्जा मौके पर प्रथम पक्ष विक्रेत्रीगण ने द्वितीय पक्ष क्रेता कम्पनी के
सुपुर्द कर दिया है और द्वितीय पक्ष क्रेता कम्पनी ने उपरोक्त भूमि

